भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **4331**

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों के फिसलने की घटनाएं

4331. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री डी. के. सुरेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में मंगलुरू तथा गुजरात में सूरत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर विमानों के फिसलने की घटनाओं पर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त घटनाओं की जांच के लिए कोई जांच समिति गठित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंगलुरू में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की विमान पट्टी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस विमानपट्टी के विस्तार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने उक्त विमानपट्टी के विस्तार के लिए कोई कदम उठाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : जी हाँ। 30.06.2019 को, दुबई से मंगलुरु विमान प्रचालन के समय मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस बी737 विमान वीटी-एवाईए में, मंगलोर में लैंडिंग के दौरान विमान के रनवे से बाहर निकल जाने की घटना हुई।

30.06.2019 को, भोपाल से सूरत विमान प्रचालन के समय मैसर्स स्पाइसजेट क्यू400 विमान वीटी-एसयूएम में, सूरत में लैंडिंग के दौरान विमान के रनवे से बाहर निकल जाने की घटना हुई।

(ख) : जी हाँ। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा ये दोनों घटनाएं गंभीर घटनाओं की श्रेणी में रखे गए हैं और विमान नियम (दुर्घटना एवं घटना जाँच) 2017 के नियम 11(1) के अंतर्गत इनकी जाँच की जा रही है।

(ग) : हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण अनुलग्नक क पर संलग्न है।

(घ) : मंगलुरु में मिट्टी के अत्यधिक भराव (huge land fillings), उच्च लागत और प्रचालनिक चुनौतियों के कारण रनवे का विस्तार संभव नहीं है।

(ड.) और (च) : जी हाँ। मंगलुरु हवाईअड्डे पर बड़े विमानों के लिए एक नए रनवे के निर्माण हेतु मंगलुरु के माननीय विधान सभा सदस्य श्री जे.आर.लोबो का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें मौजूदा रनवे को छोटे विमानों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्तावित नए रनवे का प्रचालन मौजूदा रनवे पर निर्भर होने, परियोजना से प्रभावित पक्षों के पुनरुद्धार और निर्माण की उच्च लागत के कारण प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था। यह पाया गया कि इन व्यवधानों के बावजूद रनवे की क्षमता में केवल अत्यल्प वृद्धि होगी।

*****

विमान संरक्षा के लिए किए गए उपाय जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

- विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच से निकलने वाली सिफारिशों का कार्यान्वयन:

  विभिन्न विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच के परिणामस्वरूप की जाने वाली सुरक्षा सिफारिशों को संबंधित एजेंसियों के साथ लागू करने के लिए सहायता किया जाता है ताकि समान दुर्घटनाओं / घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

- विमान सुरक्षा परिपत्र / नागर विमानन अपेक्षाएँ जारी करना:

  दुर्घटनाओं / घटनाओं का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इन विश्लेषणों के आधार पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रचालकों की सूचना हेतु विमान संरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं। सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ भी विमान परिपत्र के माध्यम से परिचालित की जाती हैं। जब भी आवश्यकता महसूस की जाती है नागर विमानन अपेक्षाएँ जारी करके परिवर्तन किए जाते हैं।

- उडान निरीक्षकों द्वारा निगरानी:

  डीजीसीए के फ्लाइट इंस्पेक्टर ने विभिन्न ऑपरेटरों के पायलटों की आवधिक दक्षता और मानकीकरण जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है।.

- प्रचालकों का नियामक लेखा परीक्षा:

  डीजीसीए की नियामक ऑडिट टीमें समय-समय पर प्रचालकों और रखरखाव संगठनों की विनियामक लेखापरीक्षा करती हैं। नियामक लेखा परीक्षा में बताई गई कमियों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए तुरंत ऑपरेटरों के ध्यान में लाया जाता है। डीजीसीए ने गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रचालकों को और अधिक जिम्मेदार बनाने के अपने प्रयास में, इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेटरों को डीजीसीए नियामक ऑडिट के अलावा अपना आंतरिक ऑडिट भी करना चाहिए।.

- आवधिक स्पॉट जाँच:

  निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए अधिकारियों द्वारा प्रचालकों के प्रचालन और रखरखाव गतिविधियों पर आवधिक स्थान की जाँच तेज कर दी गई है।

- खराब मौसम की स्थिति में विशेष प्रचालनिक सावधानियां::

प्रचालकों और हवाईअड्डे के अधिकारियों को मानसून और कोहरे की अवधि के दौरान विशिष्ट कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। मानसून की स्थिति में अपनी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन पायलटों को विशेष जांच के अधीन किया जाता है।.

- <u>बर्ड स्ट्राइक हादसों की रोकथाम.</u>

  बर्ड स्ट्राइक खतरे को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के सहयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

- <u>चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई:</u>

  जब भी यह पाया जाता है कि निर्धारित मानदंडों का घोर उल्लंघन या सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है, तो चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।